64

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी R 4260-I/14

जग्गी उर्फ जगदीश कुशवाह पुत्र स्व. दरयाव कुशवाह निवासी राजघाट तिराहा दतिया जिला दतिया म0प्र0

.... निगरानी कर्ता

श्री ..श्री.सी.नरवरिया....
द्वारा आज दि. 23-12-14 को
प्रस्तुत
23-12-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

राममिलन पुत्र बाबूलाल कुशवाह निवासी ग्राम कराती तहसील व जिला झाँसी उत्तरप्रदेश ....अनावेदक

F.C. Narwariya

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 12.11.2014 प्रकरण क्रमांक 370/2013-14/द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर म0प्र0।

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थी निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

(अ). यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम रामनगर तहसील व जिला दतिया के सर्वे नम्बर 533 रकवा 3.89 हे. एवं सर्वे नं. 557 रकवा 0.599 हे. कुल किता 2 कुल रकवा 0.988 हे. में से 1/4 भाग रकवा की भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी स्व. श्रीमती खरगो पत्नी स्व. भगवान दास कुशवाह निवासी मिस्त्री की बगिया राजघाट तिराहा दतिया थी।

(ब). यह कि, वर्णित आराजी श्रीमती खरगो को अपने पिता दरयाव पुत्र सुन्नू से विरासतन प्राप्त हुई थी।

(स). यह कि, श्रीमती खरगो लाऔलाद (निसंतान) फोत होने से पूर्व वह अपीलार्थी के साथ ही आजीवन रही उनकी देखभाल दवा आदि सभी प्रकार की सेवा सुश्रुषा तथा उनकी मृत्योपरांत अंतिम क्रिया कर्म मृत्यु भोज एवं समस्त सामाजिक कार्य करते हुये अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अपीलार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा किया गया।

(द) यह कि, श्रीमती खरगो ने अपने जीवन काल में ही अपीलार्थी निगरानीकर्ता के हित में अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-4260-I/14 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/3/16	आवेदक अभिभाषक श्री-पी० के० तिवारी उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अभिभाषक के आवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाने से मामला [illegible] कर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.